

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- मू.अ./20 /  
प्रेषिति

दिनांक:- / /20.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ  
महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री घोगालाल गणपारेया पिता रघुलीलाल  
रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम रोलाहेडा में जमाबन्दी संवत् 2078-81  
की खाता संख्या 49 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम रघुलीलाल किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम रघुलीलाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

*[Signature]*  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- सी.डर/2025/843  
निमित्त

दिनांक:- 17/10/2025

पटवार हत्का रोलाहेडा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री घोगालाल पिता रघुलीलाल  
राजस्व ग्राम रोलाहेडा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 49  
जाति/नाम रघुलीलाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम रघुलीलाल  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री घोगालाल पिता रघुलीलाल  
जाति/नाम रघुलीलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./20 /

दिनांक:- / /20,

सेवामें.

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री के पिता/पति नन्दा नि.  
दुम्बडिया प.ह. दुम्बडिया के राजस्व ग्राम दुम्बडिया में जमाबन्दी संवत्.2078-8,  
की खाता संख्या 209,217 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम नन्दा किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम नन्दा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/20 25/ 837

दिनांक:-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का दुम्बडिया

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री प्रार्थीयान पिता/पति नन्दा  
राजस्व ग्राम दुम्बडिया प.ह. दुम्बडिया की खाता संख्या 209,217 में  
जाति/नाम नन्दा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान के पिता/पति नन्दा  
जाति/नाम नन्दा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. दुम्बडिया राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ